अति–आवश्यक / शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक,

आयुक्त,
मेरठ मण्डल,
मेरठ।

सेवा में,

1–उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
2–उपाध्यक्ष, बागपत–बड़ौत–खेकड़ा विकास प्राधिकरण, बागपत।

संख्याः– 1100 / 28– 68 / 2022–24 दिनांकः–03 अगस्त, 2023

विषयः– विकास प्राधिकरणों की बोर्ड बैठक आहूत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि विकास प्राधिकरणों की बोर्ड बैठक के सम्बन्ध में शासन द्वारा पूर्व में निर्देश दिए गए थे कि प्रत्येक वर्ष विकास प्राधिकरणों की 04 बैठकें आहूत की जाए। आपसे सम्बन्धित विकास प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक आहूत हुए काफी समय व्यतीत हो चुका है एवं प्राधिकरणों के कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु बोर्ड बैठक आहूत किया जाना आवश्यक है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि कृपया अपने विकास प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन से बोर्ड को अवगत कराने तथा अन्य आवश्यक एजेण्डा बिन्दुओं पर विचार–विमर्श हेतु बोर्ड बैठक की तिथि नियत करने के लिए पत्रावली यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीया,

1/8/23

(सेल्वा कुमारी जे.)
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।